भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 5885

उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 30 मार्च, 2026

09 चैत्र, 1948 (शक)

अरुलमिगु एरुम्बीस्वरार मंदिर के सरोवर का जीर्णोद्धार

5885. **श्री दुरई वाइको**:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुवेरुम्बूर स्थित अरुलमिगु एरुम्बीस्वरार मंदिर के सरोवर के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव से अवगत है;

(ख) क्या उक्त मंदिर, जो तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम की धारा 46 (1) के अंतर्गत सूचीबद्ध है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) की देखरेख में अनुरक्षित है, मंदिर के सरोवर के जीर्णोद्धार कार्य करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है;

(ग) क्या मंदिर के सरोवर के जीर्णोद्धार कार्यों को करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है और यदि हां, तो उक्त आवेदन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सरकार का जल संरक्षण और सार्वजनिक उपयोग के महत्व को देखते हुए मंदिर के सरोवर के जीर्णोद्धार को सक्षम बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने में तेजी लाने हेतु कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति और पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): इरुंबीश्वर मंदिर परिसर में अवस्थित मंदिर का जलाशय संरक्षित स्मारक शिव (इरुंबेश्वर) मंदिर, तिरुवेरंबूर के निषिद्ध क्षेत्र में अवस्थित है। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम (वैधीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार, संरक्षित स्मारकों के निषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर अवस्थित किसी भी प्रकार के नवीनीकरण/पुनर्निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सक्षम प्राधिकारी अर्थात् राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होता है।

(ग) और (घ): हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ न्यास विभाग के कार्यकारी अधिकारी की ओर से तिरुचिरापल्ली जिले के तिरुवेरंबूर में अवस्थित इरुंबीश्वर मंदिर की जलाशय की मरम्मत और नवीनीकरण से संबंधित कार्य की अनुमति के लिए एक आवेदन प्राप्त हुआ था। जिसकी जांच करने के बाद, यह आवेदन अपूर्ण पाया गया क्योंकि इसके साथ संगत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः आवेदक को उक्त आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज संलंग्न करके फिर से आवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।
